चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

पत्रांक : पी0ए0/2545
दिनांक : 16.01.2020

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या/सचिव/निदेशक,
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त स्वःवित्तपोषित संस्थान,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

विषयः— चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त स्वःवित्त पोषित संस्थानों में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों की फीस के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त स्वःवित्त पोषित संस्थानों में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों की फीस निर्धारण हेतु गठित समिति की संस्तुति एवं कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 24.12.2019 में यह निर्णय लिया गया कि **"विश्वविद्यालय कार्यालय आदेश संख्या पी0ए0/9329 दिनांक 11.09.2017 के द्वितीय पृष्ठ के नोट सं0—01, जो स्वःवित्तपोषित संस्थानों द्वारा छात्रों से लैपटोप तथा अन्य मदों के लिये अतिरिक्त शुल्क लिये जाने से सम्बंधित था, पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है।"**

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त स्वःवित्तपोषित संस्थानों को यह आदेशित किया जाता है कि संस्थान अपने यहाँ संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक, चाहे किसी भी मद में क्यों न हो, की न तो कभी मांग करे और न ही निर्धारित शुल्क से अतिरिक्त किसी भी मद में कोई धन प्राप्त करें। कार्यपरिषद द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि यदि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कोई स्वःवित्तपोषित संस्थान उपरोक्त आदेशों की अवहेलना करता है, तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

अतः विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त स्वःवित्तपोषित संस्थानों को निदेर्शित किया जाता है कि कार्यपरिषद के उपरोक्त आदशों का कडाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

16-01-2020
कुलसचिव

प्रतिलिपि :

1. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. प्रति कुलपति, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
3. वित्त अधिकारी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
4. परीक्षा नियंत्रक, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
5. विश्वविद्यालय प्रेस प्रवक्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
6. प्रभारी वेबसाईट, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
7. सहा0 कुलसचिव (सम्बद्धता), चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

कुलसचिव